(2)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज प्रसन्न चन्द ओस्तवाल बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार भोपालगढ) सू.अ.अ. अपील संख्या 08 / 2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.02.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी Prassan Chand Ostwal, No. 43, Strotten Muthia Mudali Street, 1st Floor, Sowcarpet, Chennai- 600079 ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.11.17 में उसके द्वारा (1) श्री संपतराजजी रामविलास सुनार की दुकान से दक्षिण दिशा की ओर लम्बाई में रास्ते के सहारे सहारे चपकते हुए (गाव से बस स्टेण्ड जाने की तरफ दाहिने हाथ की ओर) लगभग 220 फीट तक जिने जिन व्यक्तियों के द्वारा भूमि अतिकमत (तथाकथित) बताकर संपरिवर्तन / नियमन शुल्क जमा करवाया गया है या जमा नहीं करवाया गया है, उन व्यक्तियों के लगातार क्रम में नाम पिता का नाम, पुरा पता, न्यायालय तहसीलदार में दर्ज प्रकरण संख्या, ग्राम पंचायत भोपालगढ द्वारा तथाकथित जारी संबंधित पट्टा संख्या, तथाकथित अतिक्रमित भू–भाग की लम्बाई, चौड़ाई व खसरा नं. 963 में उसकी स्थान स्थिति , पट्टा धारियों से वर्तमान अतिक्रमण धारकों तक निष्पादित व पंजीयन किये गये विभिन्न विक्रय पत्र, दर्ज सम्पति का स्वरूप, पंजीयन दस्तावेज नं. व दिनांक, अतिक्रमण के लिए दर्ज किये गये मुकदमों में बेदखली के किये गये निर्णयों की पालना या अवमानना व वर्तमान स्थिति की आवश्यक समग्र रूप से जानकारी उपलब्ध कराते हुए उन सभी दस्तावेजों की प्रतियां व अन्य 2 बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से जरिये पत्रांक 54 दिनांक 29.01.18 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि दो बिन्दुओं से संबंधित सूचना मांगी थी जिसके बिन्दु संख्या 1 में ग्राम भोपालगढ के खसरा नम्बर 963 की मौका स्थिति की जानकारी तथा बिन्दु संख्या 2 में ख.नं. 963 की वस्तुस्थिति के बारे में तहसीलदार भोपालगढ द्वारा जिला कलक्टर जोधपुर को वर्ष 1994 से 2017 तक भेजे गये पत्रों की प्रतियां चाही गई अतः कार्यालय के पत्रांक 544 दिनांक 26.12.17 के जरिये अपीलार्थी को कारण सहित सूचित किया गया कि आप द्वारा चाही गई सूचना दिया जाना संभव नहीं है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ प्रार्थी प्रसन्नचंद को दी गई सूचना के संदर्भ में पत्रांक 544 दिनांक 26.12.17 की प्रति भी संलग्न की है, पत्र का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को नियत अवधि में सूचित किया गया तथा पत्र में प्रार्थी का पता पूर्ण नहीं लिखते हुए प्रेषित की गई। अतः ऐसी स्थिति में उन्हें पत्र प्राप्त नहीं हुआ होगा। अपीलार्थी ने अपील के संलग्न सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 1 व 2 से संबंधित अस्पष्ट सूचना होने से दिया जाना संभव नही है परन्तु बिन्दु संख्या– 3 से संबंधित सूचना (श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय जोधपुर लगातार...	

	द्वारा तहसीलदार महोदय भोपालगढ को प्रेषित पत्रांक/राजस्व/7276/ दिनांक 06.12.1997 की प्रति) स्पष्ट है अतः अपील आशिंक रूप से स्वीकार की जाती है तथा बिन्दु संख्या–3 से संबंधित 15 दिवस में अपीलार्थी को सूचना दी जावे। प्रार्थी को आदेश की प्रति के साथ तहसील कार्यालय से प्राप्त पत्र की प्रति इस कार्यालय से प्रेषित किया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	